बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

32, हार्डिंग रोड, पटना–800001

फोन- 0612-2231563, फैक्स नं० : 2231562, 2215089, वेबसाईट : www.bsea.bih.nic.in

पत्रांक : संचिका सं० – नि०प्रा०/निर्वाचन–1–06–2013 725 /पटना, दिनांक 23/07/2018

प्रेषक,

राज किशोर प्रसाद,
उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी जिला सहकारिता पदाधिकारी -सह- जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),
सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी -सह- निर्वाचन पदाधिकारी (स०स०),

विषय : **मतदान के दिन प्रतिवेदन भेजने के संबंध में।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि विभिन्न सहकारी समितियों/स्वाबलम्बी सहकारी समितियों के लिए मतदान की तिथि दिनांक 31.07.2018 निर्धारित है। मतदान के दिन निम्न प्रतिवेदन प्राधिकार के ई-मेल bseapatna@gmail.com पर भेजना सुनिश्चित करें।

1. **मतदान प्रतिशत प्रतिवेदन**:- यह प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में मतदान के दिन सुबह 7:00 बजे, पूर्वाहन 9:00 बजे, पूर्वाह्न 11:00 बजे, अपराह्न 1:00 बजे एवं अपराह्न 3:00 बजे कुल पॉच बार निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी के माध्यम से प्राधिकार को भेजा जायगा। प्रथम प्रतिवेदन (सुबह 7:00 बजे) में मात्र समितियों का नाम अंकित किया जायगा, जिसमें मतदान प्रारंभ करने के लिए पूर्व तैयारी कर ली गयी हो। प्रपत्र के कॉलम- 3 के अंतिम प्रविष्टि में औसत मतदान प्रतिशत अंकित किया जायगा।

मतदान प्रतिशत प्रतिवेदन

जिला................ अनुमंडल............... प्रखंड............... दिनांक................ समय.........................

अनुमंडल/प्रखंड का नाम 1.	समिति का नाम जिसमें मतदान होना है। 2.	मतदान का प्रतिशत 3.	अभ्युक्ति 4.
योग			

2. **मतदान दिवस का अंतिम प्रतिवेदन**:- यह प्रतिवेदन निम्न प्रपत्र में मतदान के दिन 4:00 बजे अपराह्न तक निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा जिला सहकारिता पदाधिकारी को भेजा जायगा एवं जिला सहकारिता पदाधिकारी, निर्वाचन पदाधिकारी से प्राप्त मतदान दिवस अंतिम प्रतिवेदन के आधार पर एक समेकित प्रतिवेदन तैयार कर अपराह्न 6:00 बजे तक प्राधिकार को ई-मेल द्वारा उपलब्ध करायेगें।

मतदान दिवस का अंतिम प्रतिवेदन

जिला................	अनुमंडल...............	प्रखंड...............	दिनांक.................	
समिति का नाम 1.	मतदाताओं की कुल संख्या 2.	मतदान करने वाले मतदाता की संख्या 3.	प्रतिशत 4.	अभ्युक्ति 5.

मतदान दिवस अंतिम प्रतिवेदन के कॉलम-1 में सभी समितियों का नाम अंकित किया जायगा। किसी समिति का नाम छूटना नहीं चाहिए। समितियों का नाम निम्न क्रम में अंकित किया जायगा:-

I. जिन समितियों में मतदान संपन्न हुआ, उनके नाम इस प्रतिवेदन में पहले अंकित किया जायगा और प्रत्येक समिति के सामने वांछित सूचना अंकित की जायगी।

II. इसके बाद उन समितियों का नाम अंकित किया जायगा, जिनमें किसी कारणवश मतदान नहीं हो सका/मतदान स्थगित करना पड़ा/ पुर्नमतदान होना है, प्राधिकार द्वारा स्थगित कर दिया गया है, आदि और ऐसे प्रत्येक समिति के सामने इस प्रतिवेदन के कॉलम-2, 3, 4 में जैसी स्थिति है, उसका संक्षेप में उल्लेख किया जायगा ।

III. उसके बाद उन समितियों का नाम अंकित किया जायगा, जिनमें सभी को निर्विरोध चुना गया है और ऐसे प्रत्येक समिति के सामने कॉलम-2, 3, 4 में निर्विरोध निर्वाचित अंकित कर दिया जायगा।

IV. तत्पश्चात् उन समितियों का नाम अंकित किया जायगा, जिनमें कोरम के अभाव में मतदान स्थगित कर दिया गया है और ऐसे प्रत्येक समिति के सामने कॉलम-2, 3, 4 में कोरम के अभाव में अंकित किया जायगा।

3. मतदान नहीं होने/स्थगित होने/कानून व्यवस्था आदि के संबंध में, यदि कोई हो तो प्रतिवेदन प्राधिकार को तुरंत उपलब्ध कराया जायगा।

4. जिला पदाधिकारी -सह- जिला निर्वाचन पदाधिकारी अपने स्तर से भी इस निदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेगे।

विश्वासभाजन

23/7/18

(राज किशोर प्रसाद)

उप सचिव।